

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीनारसीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.एस.

दिनांक:- 09/2025

1. रामप्रताप पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादी

1. नत्थूराम पुत्र हेतराम } बनाम
2. सहदेव कुमार पुत्र नत्थूराम } जाति जाट निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक... 17/10/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीत सिंह अतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं0 13 एस. एल. डबल्यू जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं0 52 में कुल 3.036 है0 व चकनं0 16 एस. एल.डबल्यू के खाता सं0 53 में कुल 1.012 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं0 13 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 52 व चकनं0 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 53 में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।